मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 23.05.2012 की कार्यवाही

आज दिनांक 23.05.12 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुणाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1.	श्री कुणाल शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष,
3	श्री एम0सी0जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	श्री रविन्द्र नाथ रमन, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
5	श्री नीरज पाण्डे, उपनगर अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
6	श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7.	श्री सुशील गुप्ता, सभासद, नगर निगम, देहरादून	नामित सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
4. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
5. अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय से बैठक प्रारम्भ करने की विधिवत् अनुमति प्राप्त की गयी। सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व बोर्ड बैठक 80 वीं की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी जिसमें विषय कमांक'–6 पर मसूरी देहरदून विकास प्राधिकरण देहरादून में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को दिनोंक 01.01.2011 से मंहगाई भत्ता 103 प्रतिशत से बढ़ाकर 115 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम प्राधिकरण का ढॉचा स्वीकृत कराया जाये और यदि ढांचा स्वीकृत हो जाता है तो अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। इन निर्देशों के साथ 80वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक 1 :– वित्तीय वर्ष 2012–13 का प्रस्तावित बजट

प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट पर मुख्य लेखाधिकारी द्वारा विस्तृत बिन्दुवार आख्या बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत बजट में नई योजनाओं एवं चालू योजनाओं पर प्रस्तावित व्यय के सन्दर्भ में व्यापक विचार विमर्श किया गया। राजस्व व्यय के अन्तर्गत कार्यालय अनुरक्षण मद में प्रस्तावित 60 लाख के बजट को कम करते हुए 50 लाख करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बजट को 6319.18 लाख को संशोधित करते हुए 6309.18 लाख करने के निर्देशो के साथ बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय कमांक 2 :– लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर घण्टाघर देहरादून में निर्मित भाग व्यवसायिक काम्पलैक्स में अवशेष व्यवसायिक स्थल के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रस्तावित तीनो तलो को किराये पर न देकर विकय कर दिया जाये, क्योंकि किराये पर दिये जाने पर भविष्य में सम्पत्ति को खाली कराये जाने में विधिक अड़चने उत्पन्न होती है। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रश्नगत तलो को विकय किये जाने हेतु आवश्यक नीति का निर्धारण करने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय कमांक 3 :— प्राधिकरण के लिए दो वाहन कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

वाहन कय के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ दो वाहन कय करने की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी, कि कय किये जाने वाले वाहन फयूल एफीसेन्ट (Fuel efficient) हो एवं प्राधिकरण द्वारा इन्हें कय किये जाने से पूर्व शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

विषय कमांक 4 :— आई0एस0बी0टी0 के पास निर्मित दो—दो कमरों के भवनों को चकराता रोड के आवासरत् व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के पश्चात् अवशेष भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि अवशेष भवनों का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रभावी आवंटन नीति के अनुसार कर लिया जाये।

— अनुपूरक एजेण्डा —

अनुपूरक विषय कमांक 1 :— चकराता रोड चौड़ीकरण के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को रू0 80.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य अभियंता—लोक निर्माण को 80.00 लाख की धनराशि अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण को ऋण के रूप में दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय कमांक 2 :— ट्रान्सपोर्टनगर फेज—प्रथम के ले—आउट में संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्टनगर में ढाबे होने अत्यन्त आवश्यक है। अतः निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में रिव्यू प्लान बनाकर वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक से भी इस पर राय प्राप्त कर ली जाये और उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इस प्रस्ताव पर अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

अनुपूरक विषय कमांक 3 :– आवेदक मै0 कैलाश मेडिकल व रिसर्च सेन्टर प्रा0 लि0 द्वारा खसरा नम्बर 520 से 526 नत्थनपुर पर प्रस्तुत प्राथमिक चिकित्सालय के मानचित्र संख्या सी–0021/11–12 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक द्वारा प्राथमिक चिकित्सालय का मानचित्र संख्या सी–0021/11–12 प्रस्तुत किया गया है, जबकि स्थल का भू–उपयोग आंशिक खण्डीय व्यवसायिक व आंशिक आवासीय न्यून घनत्व है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत स्थल पर दो अलग अलग भू–उपयोगो का एक संयुक्त मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि एक ही भूखण्ड पर दो अलग अलग भू–उपयोग होने के कारण यदि आवेदक द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है, नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 4 :– मै0 एम0पी0सिंह फाउण्डेशन ग्राम कालागॉव देहरादून में खसरा नम्बर 221,222, 223 इत्यादि पर शैक्षिक संस्थानके निर्माण हेतु मानचित्र संख्या सी–0015/12–13 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मानचित्र संख्या सी–0015/12–13 जो कि 31,116.00 वर्गमीटर भूखण्ड पर प्रस्तावित किया गया है। जिसमें यह क्षेत्र 3.60 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है और मानचित्र में सड़क की चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित करते हुए रोड वाईडिंग छोड़ी गयी है। पहुॅच मार्ग में शिथिलता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह रोड महायोजना में 12.0 मीटर प्रस्तावित है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि अध्याय– 2 के बिन्दु 2.1.2 के प्रस्तर –4 में प्राविधान है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा लिंक मार्ग, जो प्रत्यक्ष रूप से महायोजना/ जोनल प्लान क मार्गो अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ मुख्य जनपदीय मार्ग से सम्बद्व हो, की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्र में 9.0 मीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रो में 6.0 मीटर सुनिश्चित करते हुए शेष वांछित मार्गाधिकार प्रश्नगत भूखण्ड मे से छोड़ना आवश्यक है। श्री पंत जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि स्थल के सामने महायोजना रोड प्रस्तावित न होती तो सड़क की चौड़ाई में शिथिलता हेतु बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक था, परन्तु कालान्तर में रोड का विस्तार महायोजना के अनुसार ही किया जायेगा।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि पहुँच मार्ग में शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य प्रतीत नही होता है, क्योकि वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर मास्टर प्लान रोड है, एवं आवेदक द्वारा मानचित्र में अपने भूखण्ड में 12.00 मीटर रोड वाईडिंग छोड़ी गयी है। आवासीय भू–उपयोग मे इन्टरमीडिएट कालेज की अनुमति विविध शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः नियमानुसार मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त
गढ़वाल मण्डल/
अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।